


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

29/2019



पीठासीन अधिकारी
प्रार्थना पत्र संख्या

1. श्री/राकेश पुत्र स्व. सुरेश चन्द
2. श्री बृजेश पुत्र स्व. सुरेश चन्द
3. श्रीमती सीता देवी पत्नि स्व. सुरेश चन्द
4. श्रीमती रेखा पत्नि बृजेश
5. श्रीमती शालिनी पत्नि राकेश
6. श्रीमती सरोज पुत्री स्व. सुरेश चन्द

समस्त जाति महाजन निवासी ग्राम पीसागंन तहसील पीसागंन जिला अजमेर
बनाम

....प्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय पीसागंन जिला अजमेर।

... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 ,131 सपठित धारा 136

रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री पुष्पेन्द्र सोनी श्री सर्वेश्वरप्रसाद सिंह राठौड - अभिभाषक प्रार्थी

-: निर्णय :- दिनांक 18.08.2020

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक के यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 ,131 सपठित धारा 136 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956 का अप्रार्थी के विरुद्ध इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम कालेसरा तहसील पीसागंन जिला अजमेर चौसाला खसरा संख्या 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601 जिसके भू संशोधन द्वारा वर्किंग खसरा संख्या 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2323/2453 बने जिसके वर्तमान आधार खसरा संख्या 1413, 1413/2919, 1414, 1415, 1415/3267, 1416 लगायत 1426, 1426/3325, 1427 लगायत 1431 , 1433, 1435 लगायत 1441 की आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजी चली आ रही है। भू संशोधन द्वारा प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी का वर्तमान नक्शा ट्रेस , चौसाला नक्शा ट्रेस एवं भौतिक माप के अनुसार तरमीम नहीं किया गया कम कर दिया गया। अतः वर्तमान जमाबर्दी के नक्शा ट्रेस में चौसाला नक्शा ट्रेस एवं भौतिक माप अनुसार दुरुस्ती के आदेश पारित करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी किये गये। सरकार पेरोकार ने अपनी लिखित बहस में स्वीकार किया कि चौसाला खसरा संख्या 1598 से बने वर्किंग खसरा संख्या 2324 से बने हाल खसरा संख्या 1432, 1434 में चौसाला नक्शा व हाल रकबे के अनुसार हाल नक्शे में दुरुस्ती किया जाना उचित है।

मैने उभयपक्ष बहस सुनी । पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया , मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं तहसीलदार पीसागंन के लिखित बहस के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 ,131 सपठित धारा 136 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पीसागंन को आदेशित किया जाता है कि वह ग्राम कालेसरा तहसील पीसागंन जिला अजमेर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड के वर्तमान नक्शा ट्रेस में प्रार्थी के वर्तमान आधार खसरा संख्या 1413, 1413/2919, 1414, 1415, 1415/3267, 1416 लगायत 1426, 1426/3325, 1427 लगायत 1431 , 1433, 1435 लगायत 1441 एवं खसरा संख्या 1432 , 1434 में चौसाला नक्शा ट्रेस के एवं वर्तमान रकबा अनुसार दुरुस्ती की जाकर तरमीम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय

मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीसागंन